न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 76/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 29.03.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कंवरलाल पुत्र उदा जाति मेघवाल निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 16.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 38/20 बउनवान कंवरलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा प्रकरण संख्या 1861/2019 में निर्णय दिनांक 26.12.2019 से धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बीन्दायका, तहसील अकलेरा की आराजी खसरा संख्या 753 रकबा 0.15 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 2 माह(60 दिवस) की सिविल कारावास की सजा एवं 30/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, झालावाड़ के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर तहसीलदार, अकलेरा का निर्णय दिनांक 26.12.2019 निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा दी गई 60 दिवस की सजा को कम करते हुए 30 दिवस किये जाने का निर्णय दिनांक 26.08.2020 पारित किया गया। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालयों ने ग्राम बीन्दायका, तहसील अकलेरा की आराजी खसरा संख्या 753 रकबा 0.15 बीघा किस्म चारागाह पर अपीलार्थी को बिना आधार के 30 रूपये जुर्माना

16/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 60 दिन की सजा की जगह 30 दिन की सजा का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के द्वारा अपीलार्थी को बिना आधार के विवादित 15 बिस्वा भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर दण्डित किया गया है, परंतु तहसीलदार के निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि पूर्व अतिचार मामले में किस प्रकरण संख्या में किस तारीख के निर्णय के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कभी आदेश पारित किया गया हो और उस आदेश की पालना में किस दिनांक को बेदखल किया गया। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता, इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं फरमाया गया। वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.08.2020 में वर्णित सजा माफ फरमायी जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के द्वारा अपीलार्थी को बिना आधार के विवादित 15 बिस्वा भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर दण्डित किया गया है। जबकि तहसीलदार अकलेरा के निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि पूर्व अतिचार मामले में किस प्रकरण संख्या में किस तारीख के निर्णय के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कभी आदेश पारित किया गया हो और उस आदेश की पालना में किस दिनांक को बेदखल किया गया। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता, इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं फरमाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी ऐसी स्थिति में सजा को माफ नहीं की जाकर निर्णय दिनांक 26.08.2020 से पूर्व 60 दिन के सिविल कारावास को 30 दिन किया गया है। जबकि वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.08.2020 में वर्णित सजा माफ फरमायी जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.08.2020 को उचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा प्रकरण संख्या 1861/2019 में निर्णय दिनांक 26.12.2019 से धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बीन्दायका, तहसील अकलेरा की आराजी खसरा संख्या 753 रकबा 0.15 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 2 माह(60 दिवस) की सिविल कारावास की सजा एवं 30/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, झालावाड़ के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर तहसीलदार, अकलेरा का निर्णय दिनांक 26.12.2019 निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा दी गई 60 दिवस की सजा को कम करते हुए 30 दिवस किये जाने का निर्णय दिनांक 26.08.2020 पारित किया गया। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी का वर्तमान में कोई कब्जा वादग्रस्त आराजी पर नहीं है। बिना आधार के विवादित 15 बिस्वा भूमि पर

16/5/2025
अति. स. आयुक्त

पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर दण्डित किया गया है, जबकि तहसीलदार अकलेरा के निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि पूर्व अतिचार मामले में किस प्रकरण संख्या में किस तारीख के निर्णय के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कभी आदेश पारित किया गया हो और उस आदेश की पालना में किस दिनांक को बेदखल किया गया। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी/अतिक्रमी का पूर्व में भी संवत् 2075 में कब्जा था तथा जिस पर से बेदखल किया गया था। इसी आधार पर सम्वत् 2076 में खसरा सं0 753 किस्म चारागाह की रकबा 0.15 बीघा पर कब्जा कर फसल सोयाबीन काश्त करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना जाकर निर्णय दिनांक 26.12.2019 से 60 दिन के सिविल कारावास एवं 30 रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। लेकिन न्यायालय तहसीलदार, अकेलरा द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी को पूर्व में किस प्रकरण संख्या में तथा किस दिनांक से बेदखल किया जाकर किसी प्रकार से दण्डित किया गया हो। उक्त के संबंध में पत्रावली में पूर्व प्रकरण से संबंधित कोई साक्ष्य/दस्तावेज संलग्न नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ के द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के ग्रामीण परिवेश का गरीब काश्तकार होने के कारण 60 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने को उचित नहीं होना मानते हुए उक्त सिविल कारावास की सजा को कम करते हुए 30 दिवस किया गया है। किंतु न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा की पत्रावली के अवलोकन अनुसार पूर्व के अतिक्रमी होने के साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2020 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सहज न्याय की दृष्टि से प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 26.08.2020 अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी को विचारण न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा पारित 2 माह (60 दिवस) सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि तहसीलदार संबंधित आईएलआर/पटवारी से इस तथ्य की पुष्टि करे कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना/तावान राशि जमा करा दी है। अपीलार्थी स्वयं इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ–पत्र तहसीलदार अकलेरा के समक्ष पेश करेगा की उसके द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। यदि अपीलार्थी उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा का निर्णय यथावत रहेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण न्यायालय तहसीलदार अकलेरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

16/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा